भारत में हेट क्राइम

प्रलिम्सि के लयि:

हेट क्राइम, अनुच्छेद 14, IPC की धाराएँ (153A 153B, 295A)।

मेन्स के लयि:

हेट क्राइम के खलिाफ भारतीय कानून, हेट क्राइम के लयि ज़मि्मेदार प्रमुख कारक, भारत में हेट क्राइम से नपिटने के संभावति तरीके।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर आम सहमति बढ़ रही है, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत जैसे धर्मनरिपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लयि कोई गुंज़ाइश नहीं है तथा नागरकिों को हेट क्राइम से बचाना राज्य का प्राथमकि कर्त्तव्य है।

हेट क्राइम (Hate Crimes):

- **परचिय:**
  - हेट क्राइम **व्यक्तयिों या समूहों के खलिाफ उनके धर्म, जाति, नस्ल, यौन अभविन्यास या अन्य पहचान के आधार पर कयि गए हसिक या अपमानजनक कृत्यों** को संदर्भति करता है।
    - इन अपराधों में अक्सर हसिा, डराना या धमकी देना शामलि होता है और वे उन व्यक्तयिों या समूहों को लक्षति करते हैं जनि्हें अलग या हाशयि के रूप में माना जाता है।
  - भारतीय संवधिान समानता की गारंटी प्रदान करता है और धर्म, नस्ल, जाति, लगि या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतबिंधति करता है (अनुच्छेद 14), लेकनि इसके बावजूद हेट क्राइम देश में एक नरिंतर समस्या बनी हुई है।
- **घृणा अपराधों के खलिाफ भारतीय कानून:**
  - हेट क्राइम के **वभिनि्न रूपों के कारण इसे न तो भारतीय कानून में पर्याप्त रूप से परभिाषति कयिा गया है और न ही एक पारंपरकि ववरिण तक सीमति** कयिा गया है।
    - हालाँकि भारतीय दंड संहति (IPC) की धारा 153A, **153B, 295A, 298, 505(1), और 505(2) नफरती भाषण के मामलों से नपिटती है तथा स्पष्ट करती है कि नस्ल, जाति, जातीयता, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र या कसिी अन्य कारक के आधार पर घृणा या अपमान जैसी भावना को उकसाने** के लयि बोले या लखिे गए शब्दों का उपयोग करना अवैध है।
- **हेट क्राइम के प्रमुख कारक:**
  - **धार्मकि और जातीय तनाव:** भारत वभिनि्न धार्मकि और जातीय समूहों वाला एक ववधितापूर्ण देश है। इस प्रकार के **तनाव अक्सर हसिा और हेट क्राइम्स को जन्म देते हैं।**
  - **जाति-आधारति भेदभाव:** जाति-आधारति पूर्वाग्रह का भारत में एक लंबा इतहिास रहा है, जसिने **कुछ समुदायों को हाशयि पर धकेल दयिा है** और उनके खलिाफ हेट क्राइम में योगदान दयिा है।
  - **राजनीतकि इच्छाशक्ति का अभाव:** हेट क्राइम्स को नयिंत्रति करने के लयि कानूनों और वनियिमों के बावजूद उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लयि राजनीतकि इच्छाशक्ति की कमी ने ऐसे अपराधों के घटति होने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार कयिा है।
  - **सोशल मीडयि एवं भ्रामक सूचना:** सोशल मीडयिा पर अभद्र भाषा और भ्रामक सूचना का प्रसार **तनाव में वृद्धि के साथ घृणति अपराधों की बारंबारता में वृद्धि कर सकता है।**

भारत में हेट क्राइम से नपिटने के संभावति उपाय:

- **जागरूकता अभयिान:** हेट क्राइम को संबोधति करने में पहला कदम व्यक्तयिों और समाज पर इसके **हानकिारक प्रभावों के बारे में जागरूकता** बढ़ाना है।
  - **मास मीडयिा अभयिान और सामुदायकि आउटरीच कार्यक्रमों** का उपयोग लोगों को हेट क्राइम के परणिामों के बारे में शकि्षति करने और उन्हें ऐसी घटनाओं की रपिोर्ट करने के लयि प्रोत्साहति करने हेतु कयिा जा सकता है।

- **सामुदायिक जुड़ाव:** हेट क्राइम को संबोधित करने में समुदाय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह कार्य सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से किया जा सकता है **ताकि लोग एक साथ आ सकें और उन विषयों पर खुलकर तथा ईमानदारी से चर्चा कर सकें जो उन्हें विभाजित करती हैं।**
    - यह **विभिन्न समुदायों के मध्य सेतु की भाँति** कार्य करेगा जो उनकी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** हेट क्राइम्स की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। इसमें **हेट क्राइम के रुझानों और हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिये ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित करना तथा डेटा एनालिटिक्स का उपयोग** करना शामिल हो सकता है।
- **पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम:** पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम (Restorative Justice Programs) का उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना और पीड़ितों, अपराधियों तथा समुदाय के बीच संबंधों को सामान्य बनाना है।
    - इन कार्यक्रमों का उपयोग हेट क्राइम के मामलों में **प्रभावित समुदायों के बीच उपचार और सुलह को बढ़ावा देने हेतु किया जा सकता है।**
- **कड़ी सज़ा:** हेट क्राइम से निपटने का एक और तरीका है कि इस तरह के व्यवहार में लिप्त लोगों पर **कठोर दंड लगाया जाए**। यह उन लोगों के लिये एक निवारक के रूप में काम कर सकता है जो हेट क्राइम में लिप्त हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hate-crimes-in-india